



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00115

दर्ज तिथि:- 11.06.2019

1. रामा वल्द जीया

जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. रायमलराम पुत्र लिखमाराम

2. चूनाराम पुत्र लिखमाराम

3. भूराराम पुत्र लिखमाराम

4. मदरूपाराम पुत्र लिखमाराम

5. लिखमाराम पुत्र पोकराराम

जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादी

6. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188,209

राज0 काश्त0 अधि0-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-20.03.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-188, 209 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/5.5927 है0 मौजा थोरियों की ढाणी, पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि मालपुरा व मीठीबेरी ग्रामों की सीमा पर अवस्थित है एवं उक्त दोनों ग्रामों की सीमा आपस में ऑवरलेपिंग है। वादी वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में



प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल के पश्चात् असालतन-वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 30/0.04 बीघा एवं खसरा संख्या 33/5.5927 है0 मौजा थोरियों की ढाणी, पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा की नेखमबंदी हेतु हाजा न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की उक्त आराजी की नेखमबंदी की पालना रोकने हेतु उक्त वाद दायर किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में आगे कथन किया कि यदि प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी के हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 की पालना करते हुए एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी को छोड़ते हुए हस्तगत प्रकरण पर कोई निर्णय दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई।
3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्बत
1.	खाता संख्या 77 जमाबंदी वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2074-77
2.	खसरा संख्या 30, 31 एवं 31/1 राजस्व नक्शा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा	30.05.2019
3.	खाता संख्या 78 जमाबंदी वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2074-77

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू-1	रामा वल्द जीया जाति जाट	ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की

	भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।</li> <li>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</li> <li>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</li> <li>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</li> </ol>

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 33/34.11 बीघा वाके ग्राम मीठीबेरी तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजीपर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक

परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

**आदेश है कि**

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/5.5927 है0 मौजा थोरियों की ढाणी, पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

गुढामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00115

दर्ज तिथि:- 11.06.2019

1. रामा वल्द जीया

जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. रायमलराम पुत्र लिखमाराम

2. चूनाराम पुत्र लिखमाराम

3. भूराराम पुत्र लिखमाराम

4. मदरूपाराम पुत्र लिखमाराम

5. लिखमाराम पुत्र पोकराराम

जाति जाट निवासी मीठी बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादी

6. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188,209

राज0 काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/5.5927 है0 मौजा थोरियों की ढाणी, पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में

रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

